पत्रांकः– वन भूमि–13 / 2020..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :–इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा पारदीप–हल्दीया LPG पाईप लाईन की वृद्धि (बिछाने) के लिए बाँका जिला में अतिरिक्त वनभूमि की आवश्यकता हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.4099 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव मुख्य प्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पी०एम०बी०पी०एल०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित परियोजना मे अपयोजित होने वाले स्थल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–C/PF-10165/52-5850R दिनांक– 29.12.1952 द्वारा "सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा नई हल्दीया–बरौनी (HBPL) भूमिगत पाईप लाईन उक्त अधिसूचित सुरक्षित वनभूमि से होकर गुजरेंगे। विषयांकित परियोजना का निर्माण राज्य के बाँका वन प्रमंडल के अंतर्गत होना है, जिसमें 0.4099 हे० वन भूमि अपयोजन की अनुशंसा की गयी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी वृक्ष का पातन सन्निहित नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्ष के पातन नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई है तथापि हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा करायी जायेगी, तत्संबंधी प्राक्कलन संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.4099 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,56,597/—(दो लाख छप्पन हजार पाँच सौ सन्तानवे रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिये 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :— वन भूमि—13/2020....................../प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक.....................................

प्रतिलिपि :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/मुख्य प्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पी०एम०बी०पी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :— वन भूमि—13/2020 808 /प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक 02/06/2020

प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

1/6/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

VR S One-141